

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला

क्रमांक :- ३०

दिनांक :- 16/04/25

:: कार्यालय आदेश ::

मैं करुणा शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 18/04/2025 के राजकीय अवकाश को जोधपुर जिला मुख्यालय, ओसियां, बिलाड़ा, बालेसर, पीपाड़ शहर, भोपालगढ़ न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले आवश्यक आपराधिक प्रकरणों यथा रिमाण्ड, जमानत, मृत्युकालीन कथन, मृत्यु समीक्षा एवं अन्य आवश्यक कार्य तथा प्रोटोकॉल आदि के लिए पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 25 दिनांक 27.03.2025 में प्रशासनिक कारणों से आंशिक संशोधन कर उक्त आदेश के जरिए उपरोक्त राजकीय अवकाशों हेतु पूर्व में अधिकृत न्यायिक अधिकारी के स्थान पर निम्नलिखित न्यायिक अधिकारी को उक्तानुसार कार्य सम्पादित करने के लिए अधिकृत करती हूं :-

क्र. स.	क्षेत्राधिकार	अधिकृत न्यायिक अधिकारी का नाम व पदनाम	रिमाण्ड ड्यूटी की दिनांक
23.	जोधपुर जिला, बालेसर, बिलाड़ा, पीपाड़ शहर, ओसियां, भोपालगढ़ न्यायालयों हेतु	श्रीमती दिव्या शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीपाड़ शहर	18/04/2025

उक्त संशोधन के अतिरिक्त शेष आदेश (क्रमांक 25 दिनांक 27.03.2025) यथावत रहेगा।

— ५३ —
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जोधपुर जिला

क्रमांक : 351

दिनांक : 16/04/25

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

- 01 श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जोधपुर जिला।
- 02 श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश महोदय, पोक्सो न्यायालय, जोधपुर जिला।
- 03 श्रीमान् अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जोधपुर जिला/फलोदी/बिलाड़ा/बालेसर।
- 04 श्रीयुत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 1 व 2 फलोदी/बिलाड़ा/पीपाड़ शहर/बालेसर/ओसियां।
- 05 श्रीयुत न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला/फलोदी/बालेसर/पीपाड़ शहर/भोपालगढ़/बाप/लोहावट/बिलाड़ा। श्रीयुत न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, ओसियां।
- 06 श्रीयुत जिला पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण/फलोदी को प्रेषित कर लेख है कि सभी थानाधिकारियों को सूचित करावें।
- 07 जिला आबकारी अधिकारी, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीन कार्यरत वृत्त निरीक्षक/प्रहराधिकारी/भारसाधक अधिकारी, आबकारी थाना को सूचित करावें।
- 08 उप निदेशक, अभियोजन, जोधपुर।
- ✓ 09 सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर सेल, जिला न्यायालय, जोधपुर जिला को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को जिला न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करे।
- 10 कार्यालय प्रति।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जोधपुर जिला